तल्बी दिनांक 19/8/19

19/8/19 आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रकरण की मूलप्रति पत्रावली आज अदम हाजरी अदम पैरवी के बारीज की जा चुकी है। परन्तु वर्तमान में इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः यह पत्रावली भी इसी तरह कार्यवाही ड्रोप कर अदम हाजरी अदम पैरवी के बारीज की जाती है एवं पूर्व में जारी अन्तरिम आदेश निरस्त किये जाते हैं कि फलतुआ हो। नम्बर डे कर दें। वाद तकमील तलाश दावा रहे। सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
एवं जिला कलक्टर प्रतापगढ़